

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल दिनांक /05/2018

क्रमांक / /450/2017/सत्रह/मेडी-1 :: डॉ. डी.एन.गौतम (सेवानिवृत्त), तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सतना के विरुद्ध सिविल अस्पताल, मैहर जिला सतना में निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाओं को लेकर अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल के आदेश पृ.क्रमांक/4/शिका./सेल-1/सतना/2014/2882 दिनांक 05.11.2014 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के अंतर्गत एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई ।

2/- इसी प्रकार दिनांक 04.09.2014 को सतना जिले की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं का संचालनालय स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान अनेक गंभीर अनियमिततायें पाये जाने के प्रकरण में भी संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक/4/शिका./सेल-1/2014/5061 दिनांक 28.11.2014 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के अंतर्गत तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित करते हुए उनकी निलंबन की अवधि दिनांक 15.09.2014 से 28.11.2014 को सेवा में व्यतीत की गई अवधि समस्त प्रयोजनों के लिये मान्य करते हुए जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त किसी भी अन्य राशि की पात्रता न होने का आदेश पारित किया गया ।

3/- उपरोक्त दोनों प्रकरणों के परीक्षण में निम्नानुसार विसंगतियां परिलक्षित हुई हैं :-

1. डॉ. डी.एन.गौतम को वर्ष 2014-15 की अवधि में दो माह के अंतराल से पृथक-पृथक दो दण्डादेश के माध्यम से क्रमशः एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से तथा तीन वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गयी है । इन दोनों आदेशों से एक वर्ष (प्रथम वर्ष) का ओवरलेपिंग इफेक्ट है, अतः उक्त दोनों दण्डादेशों से कुल तीन वेतनवृद्धियों के आहरण को ही रोका जा सकता है । अर्थात् वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 की वेतनवृद्धियां ही रोकी जा सकती है । किन्तु इस संबंध में सुस्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है ।
2. संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल के दण्डादेश दिनांक 28.11.2014 द्वारा डा. डी.एन.गौतम के संबंध में लघुशास्ति का आदेश पारित किया गया है, किन्तु लघुशास्ति का दण्ड होते हुए भी डॉ. गौतम को निलंबन अवधि के लिये जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय न होने संबंधी आदेश पारित किया है जो मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-6/01/2005/एक/3 दिनांक 13 जनवरी, 2005 के विपरित है । उक्त ज्ञाप में स्पष्टतः उल्लेखित है कि यदि किसी शासकीय सेवक को लघुशास्ति का दण्ड दिया जाता है तो निलंबन अवधि को कार्य अवधि मान्य करते हुए जीवन निर्वाह भत्ते के साथ समायोजन कर देय वेतन-भत्ते की शेष राशि का भुगतान किया जाये ।

संचालनालय स्वास्थ्य
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

4/- अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा डा. डी.एन.गौतम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन क्रमशः दिनांक 02.02.17, 25.11.17 एवं दिनांक 12.01.18 के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. वर्ष 2014 में पारित दो दण्डादेशों का कुल प्रभाव तीन वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने की सीमा तक ही सीमित होगा ।
2. दिनांक 28.11.2014 के आदेश में तीन वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के साथ निलंबन अवधि के सम्पूर्ण वेतन भत्ते में जीवन निर्वाह भत्ते की राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान किया जाये तथा निलंबन काल की सम्पूर्ण अवधि को कर्तव्य अवधि मान्य किया जाए ।

संचालनालय स्वास्थ्य
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
05
4168
आवक क्र.....

Handwritten signature and date
03/05/18

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Handwritten signature
(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक 981/450/2017/सत्रह/मेडी-1
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक 03/05/2018

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, लो.स्वा.एवं परि. कल्याण विभाग, भोपाल।
- 2- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
- 3- संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा।
- 4- उपसंचालक (विज्ञप्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 5- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सतना। कृपया आदेश की एक प्रति डॉ. गौतम को तामील कराने हेतु।
- 6- डॉ. डी.एन. गौतम, द्वारा- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Handwritten initials
ES
श्रीवा

Handwritten signature
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 /


भोपाल, दिनांक / / 2018

// आदेश //

क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा डॉ० (श्रीमती) विजय लक्ष्मी नागवंशी, सर्जिकल विशेषज्ञ, राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय, सिरोंज जिला विदिशा का दिनांक 21.12.2016 से 14.05.2017 तक 145 दिवस का लघुकृत अवकाश (मय चिकित्सा प्रमाण-पत्रो सहित) स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत अवकाश नियम 1977 में निहित प्रावधानानुसार डॉ० (श्रीमती) विजय लक्ष्मी नागवंशी, सर्जिकल विशेषज्ञ, राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय, सिरोंज जिला विदिशा का दिनांक 21.12.2016 से 14.05.2017 तक 145 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-


(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 / 675

भोपाल, दिनांक 4/5/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 10278 दिनांक 13.11.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला विदिशा, म0प्र0।
04. जिला कोषालय जिला विदिशा, म0प्र0।
05. डॉ० (श्रीमती) विजय लक्ष्मी नागवंशी, सर्जिकल विशेषज्ञ, राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय, सिरोंज जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ।
06. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।


4/5/18
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,

मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-02/ 2018/

भोपाल, दिनांक /04/2018

--: आदेश :-

डॉ अशीष सेन, चि0अ0,डी0ओ0एम0एस0, जिला चिकित्सालय बड़वानी को उच्च अध्ययन डी0एन0बी0 नेत्र हेतु राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के माध्यम से चौइथराम नेत्रालय, मध्यप्रदेश हेतु चयनित किया गया है।

डॉ आशीष सेन, को उच्च अध्ययन हेतु निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं डी0एन0बी0 अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. दिनांक 28.4.2018 से 28.09.2018 तक असाधारण अवकाश ।
2. 29.09.2018 से 30.04.2020 तक अध्ययन अवकाश ।

अध्ययन अवकाश निम्न शर्तों के अधीन मान्य रहेगा :-

1. डॉ आशीष सेन, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बड़वानी, को शेष सेवा काल में अध्ययन अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
2. अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व प्रपत्र 08 एवं 09 में बंधपत्र(शपथपत्र) का निष्पादन करना होगा।
3. इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि पाठ्यक्रम अवधि में किसी प्रकार की छात्रवृत्ति, वजीफा पारिश्रमिक नहीं प्राप्त किया जा रहा है।
4. अध्ययन अवकाश अवधि में मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
5. पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने /अवकाश अवधि समाप्ति उपरांत अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थिति देनी होगी।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये, म0प्र0

भोपाल, दिनांक 28/04/2018

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/655

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0।
- 02 विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 03 प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म0प्र0।
- 04 स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, म0प्र।
- 05 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये, इंदौर, म0प्र0।
- 06 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी, म0प्र0।
- 07 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बड़वानी - डॉ आशीष सेन, चि.अ. के अवकाश खाते एवं सेवा पुस्तिका की पृविष्टी करें, म0प्र0।
- 08 जिला कोषालय अधिकारी बड़वानी म0प्र0।
- 09 संबंधित अधिकारी की ओर तत्काल पालनार्थ :-द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /सी0एस0 जिला बड़वानी म0प्र0।
- 10 प्रभारी एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल म0प्र0।
- 11 आदेश नस्ती।

28/4/18

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये, म0प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 /

भोपाल, दिनांक / / 2018

// आदेश //

डॉ० मोहन सिंह, प्रभारी संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल की दिनांक 01.05.2018 से 26.05.2018 तक 26 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

डॉ० मोहन सिंह, प्रभारी संचालक की अवकाश अवधि में डॉ० अमृत लाल मरावी, संयुक्त संचालक (कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल), क्षेत्रीय संचालक के पद के प्रभार में रहेंगे।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 / 619

भोपाल, दिनांक 25/05/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जल सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भोपाल।
04. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल।
05. संबंधित अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
06. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।


अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2018/

भोपाल, दिनांक / /2018

// आदेश //

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीकमगढ से डॉ० एस.एम. तिवारी, सेवा निवृत्त, शिशुरोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाडी, जिला टीकमगढ के दिनांक 05.02.2014 से 15.11.2015 तक 649 दिवस एवं दिनांक 16.05.2016 से 27.06.2017 तक 408 दिवस कुल 1057 दिवस का अवकाश स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत डॉ० एस.एम. तिवारी, सेवा निवृत्त, शिशुरोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाडी, जिला टीकमगढ का मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश नियम 1977) में दिये गये प्रावधानानुसार निम्नानुसार कुल 680 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 05.02.2014 से 04.10.2014 तक कुल 240 दिवस अर्जित अवकाश।
2. दिनांक 05.06.2014 से 24.06.2016 तक कुल 440 दिवस अर्द्धवेतन अवकाश।
3. दिनांक 25.06.2016 से 27.06.2017 तक शेष अवधि इनके अवकाश खाते में अवकाश न होने के कारण कुल 368 दिवस को अकार्य दिवस (डायजनान) स्वीकृत किया जाता है। अकार्य दिवस (डायजनान) किसी भी प्रयोजन हेतु मान्य नहीं होगी।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

Ex-11/-

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2018/519

भोपाल, दिनांक 4/4/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर, म०प्र०।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीकमगढ, म०प्र०।
04. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला टीकमगढ, म०प्र०।
05. जिला कोषालय जिला टीकमगढ, म०प्र०।
06. डॉ० एस.एम. तिवारी, सेवा निवृत्त, शिशुरोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाडी, जिला टीकमगढ म०प्र० की ओर सूचनार्थ।
07. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

CD

414/18

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 /

भोपाल, दिनांक / / 2018

// आदेश //

डॉ० पी०एन० तेजनकर, ऐच्छिक सेवा निवृत्त ई०एन०टी० विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय उज्जैन का मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश नियम 1977) में दिये गये प्रावधानानुसार निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

01. दिनांक 8.4.1984 से 12.60.84 तक- 66 दिवस का अर्जित अवकाश।
02. दिनांक 13.6.1984 से 11.08.84 तक-60 दिवस का अद्वैतनिक अवकाश।
03. दिनांक 12.08.1984 से 07.04.1985 तक-239 दिवस का अवैतनिक अवकाश।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

हस्ता/-

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 / 445 भोपाल, दिनांक 27/3/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन, म०प्र०।
03. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला उज्जैन, म०प्र०।
04. जिला कोषालय जिला उज्जैन, म०प्र०।
05. डॉ० पी०एन० तेजनकर, ऐच्छिक सेवा निवृत्त ई०एन०टी० विशेषज्ञ, (जिला चिकित्सालय उज्जैन) 70 महाश्वेता नगर, उज्जैन म०प्र० की ओर सूचनार्थ।
06. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

27/3

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

28 MAR 2018